तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन पत्र संख्या 92/2020 अनवान मेवसिंह बनाम मदनसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान ग्राम पंचायत मुख्यालय कुड़ला पर जरिये नोटिस तलब होकर दिनांक 12.10.2021 को ग्राम पंचायत मुख्यालय, कुड़ला रा0मा0वि0 कुड़ला पर पत्रावली पेश हो। उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बाड़मेर	
12.10.2021	पत्रावली ग्राम पंचायत मुख्यालय कुड़ला रा.मा.वि. कुड़ला पर पेश हुई। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अनुपस्थित। प्रार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (ए) उप धारा 1 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर प्रार्थी के खेत खसरा नं. 674/382 रकबा 27.12 बीघा ग्राम कुड़ला पटवार मण्डल कुड़ला में सुखाचार हेतु अप्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 672/382 में से नया रास्ता खोलने एवं राजस्व अभिलेख में रास्ता अंकित किये जाने हेतु निवेदन किया। आवेदन पंजीयन कर उत्तरदातागण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार, बाड़मेर से मौका प्रतिवेदन तलब किया गया। तहसीलदार, बाड़मेर ने अपने प्रतिवेदन में अंकित किया है कि प्रार्थी का रास्ते हेतु आवेदित भूमि में से आवागमन होना मौके पर नहीं पाया गया। प्रार्थी द्वारा अपने दो खसरा नंबर 674/382 एवं 675/382 के बीच स्थित खसरा नंबर 672/382 से रास्ता चाहा है, जबकि उक्त तीनो खसरे खसरा नंबर 672/382, 674/382 एवं 675/382 किसी रास्ते से जुड़ें हुऐ नही है। खसरा नंबर 672/382 ने अपने खेत के चारों तरफ तारबंदी कर रखी है। वर्तमान मे खसरा नंबर 674/382 में जाने के लिये ख्सरा नंबर 673/382, 678/382 एवं 677/382 का उपयोग करते है। खसरा नंबर 674/382 को डामर सड़क तक जाने के लिये भी इन्ही खसरों का उपयोग करते है जो कि इस खसरे तक पहुचने के लिये न्यूनतम दूरी के मार्ग है। प्रार्थी द्वारा जहां रास्ता चाहा वह किसी रास्ते से जुड़ नही रहा है। इस प्रकार प्रार्थी का अप्रार्थीगण की आवेदित भूमि में से आवागमन हेतु रास्ते की मांग उचित प्रतीत नहीं होती है। प्रार्थी को मौके के अनुसार आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में आवेदित भूमि में से रास्ता सुखाचार हेतु दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः तहसीलदार, बाड़मेर के प्रतिवेदन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन निराधार होने से निरस्त किया जाता है। आदेश मजमे आम में सुनाया गया। (रोहित चौहान) उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बाड़मेर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohit Ch
Date: 2022.02.25 16:45:47
Reason: SelfAttested